उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 02 / XVII(2) / 2011
देहरादूनः दिनांक 03 फरवरी, 2011
नियुक्ति / विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2006 के अन्तर्गत चयनित / संस्तुत अभ्यर्थी श्री रत्नाकर सिंह पुत्र श्री बांके बिहारी सिंह, निवासी ग्राम इसरवार, पोस्ट सेवापुरी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश को श्री राज्यपाल महोदय जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड–पे रू0 5400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होगे।

3– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या 1936(एम / एस) के0सी0 मिश्रा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 94(एस / बी) वर्ष 2009 विजय प्रसाद थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4– श्री सिंह अपनी योगदान आख्या निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री सिंह को जिला कार्यक्रम अधिकारी अल्मोड़ा में रिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। श्री सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी अल्मोडा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5– उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी श्री सिंह अपनी योगदान आख्या निदेशक आई0सी0डी0एस0 के समक्ष प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किये जाने होंगे।

1. अपनी चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
2. विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र।
3. शैक्षिक योग्यता संबन्धी सभी प्रमाण पत्र।
4. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

6– उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

/
(मनीषा पंवार)
सचिव

<u>संख्याः 02 (1)XVII(2)/2010 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक आकादमी, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी अल्मोडा।
4. निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि श्री सिंह की योगदान आख्या लेने के उपरान्त श्री सिंह को जिला कार्यक्रम अधिकारी अल्मोड़ा का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या 1261/XXX(2)/2010 दिनांक 17 सितम्बर 2010 के क्रम में।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की–हरिद्वार को आगामी गजट मे प्रकाशनार्थ हेत।
8. श्री रत्नाकर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार अपनी योगदान आख्या निदेशक आई0सी0डी0एस0 को पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। श्री सिंह को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि वे उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नही करते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि वे उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने के इच्छुक नही हैं। तद्नुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

मेरा

(रमेश कुमार)

उपसचिव